

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय

संख्या : एएआई/ आरटीआई/अपडेशन/सीएचक्यू/2023|28

15, फरवरी 2023

विषय : आरटीआई - 15 फरवरी, 2023 तक सीपीआईओ/ एफ.ए.ए. के विवरण का अद्यतन ।

भाविप्रा वेबसाइट में "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण के संदर्भ में, जिसमें विभिन्न निदेशालयों के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) से संबंधित जानकारी दी गई है। भाविप्रा की वेबसाइट के अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि कुछ निदेशालय अपने निदेशालयों के सीपीआईओ (एस) और एफएए की सूची को वेबसाइट में अपडेट/अपलोड नहीं कर रहे हैं।

2. इस संबंध में, सदस्य (पी एंड ए) पत्र संख्या ए-60011/23/2005 (पी एंड सी)/1446 (आरटीआई) दिनांक 23/04/2010 के पैरा (एल) के संदर्भ का अवलोकन करें, जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया है कि ".....सभी एआईओ/ एपीआईओ/ सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारी और उनके कार्यक्षेत्र (जैसे नाम, पदनाम, ईमेल, कार्यालय का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कार्य क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र, कार्यालय का पता आदि, सीपीआईओ और संबंधित अपीलीय प्राधिकारी आदि), को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।"

3. अतः, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त की समीक्षा करें और आपके नियंत्रण में सीपीआईओ और एफएए की सूची को **संलग्न प्रारूप** के अनुसार **15 फरवरी, 2023 तक** अद्यतन करें और आरटीआई प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय (pasiwal@aai.aero पर ईमेल) को सूचित करते हुए मप्र (सूप्रौ), निगमित मुख्यालय के माध्यम से तिथि **सहित** भाविप्रा वेबसाइट पर **अपलोड करवाने का कष्ट करें** । इस क्रम में यह भी अनुरोध है कि सीपीआईओ/एफएए के विवरण को प्रति वर्ष **1 फरवरी और 1 अगस्त को अद्यतन और अपलोड किया जाए** ।

4. इसके अतिरिक्त, जब भी सीपीआईओ और एफएए के संबंध में स्थानांतरण/पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/उनके कार्य में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है तो सूचना में उचित संशोधन करने का कष्ट करें और पूर्ण निदेशालय के सीपीआईओ और एफएए के विवरण को अद्यतन करें तथा संबंधित सीपीआईओ/एफएए को आरटीआई आवेदन/अपील अप्रेषित करने में विलंब से बचने के लिए आरटीआई प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय को एक प्रति भेजते हुए म०प्र० (सू०प्रौ०) के माध्यम से भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।

संलग्नक: उपरोक्त

15.02.2023

(प्रवीण कुमार आसीवाल)

संयुक्त महाप्रबंधक (ईएस/ आरटीआई)

आरटीआई प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय

सेवा में:

सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), निगमित मुख्यालय

प्रतिलिपि:

सदस्य (मानव संसाधन) – कृपया सूचनार्थ ।

RTI MATTER
MOST URGENT

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
RIGHT TO INFORMATION CELL, CHQ

No.AAI/RTI/Updation/CHQ/2023/128

15, Feb 2023

Subject: RTI – Updation of details of CPIO / FAA as on 15th February, 2023.


This has reference to the disclosure made in AAI Website under the heading "Right to Information" wherein information relating to Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) of various Directorates are given. On perusal of AAI website, it is noticed that some of the Directorates are not updating / uploading the list of CPIO(s) and FAA of their Directorates in the website.

2. In this regard, reference is invited to Para(l) of Member (P&A) letter No.A-60011/23/2005(P&C)/1446(RTI) dated 23.04.2010 which stipulates that ".....all AIOs/APIOs/CPIOs/Appellate Authorities and their areas of work (such as the name, designation, email, office telephone number, mobile number, jurisdiction of the area of work, office address, , etc. of CPIO and the Appellate Authority concerned etc.) are updated and uploaded on the website from time to time in respect of matters falling within his/her purview."

3. You are, therefore, requested to please review the same and the list of CPIO and FAA under your control may please be updated and uploaded **with date** on AAI Website as per attached format **as on 15th February, 2023**, through GM (IT), CHQ under intimation to RTI Cell, CHQ (email at pasawal@aai.aero). It is also requested that the details of CPIO/FAA may please be updated and uploaded **as on 1st February and 1st August** of every year.

4. Further, **whenever there is any change in respect of CPIO(s) and FAA due to transfer / promotion / superannuation / change of their work jurisdiction, etc.** appropriate changes may be made in the information and the details of CPIO(s) and FAA of the **whole Directorate** may be updated and uploaded in AAI website through GM (IT) with a copy to RTI Cell, CHQ to avoid delay in forwarding the RTI Applications / Appeals to the concerned CPIO / FAA.

Encl: As above


15.02.2023
(Parveen Kumar Asiwali)
Joint General Manager (ES/RTI)
RTI Cell, CHQ

To:
All First Appellate Authorities (FAAs), CHQ

Copy to:
Member (HR)-for information please.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

निदेशालय _____, निगमित मुख्यालय

दिनांक:

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) की सूची।

| सीपीआईओ का नाम, पदनाम, टेलीफोन, मोबाइल नंबर और ईमेल | कार्य का क्षेत्राधिकार | एफएए का नाम, पदनाम, टेलीफोन, मोबाइल नंबर और ईमेल |
|---|------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(सीपीआईओ या एफएए के हस्ताक्षर)
सीपीआईओ या एफएए का नाम और पदनाम

सेवा में:

महाप्रबंधक (सू. प्रौ) - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि:

संयुक्त महाप्रबंधक (ईएस), आरटीआई प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय - (pasiwal@aai.aero)

Airports Authority of India

Directorate of _____, CHQ

Dated:

List of Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authority (FAA) under RTI Act, 2005.

| Name, Designation, Telephone, Mobile No. & Email of CPIOs | Jurisdiction of area of work | Name, Designation, Telephone, Mobile No. & Email of FAA |
|--|-------------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(Signature of CPIO or FAA)
Name & Designation of CPIO or FAA

To:

General Manager (IT) – for uploading in the website

Copy to:

Jt. GM (ES), RTI Cell, CHQ – (pasiwal@aai.aero)